

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा 4(1)(ख) के तहत जानकारी



छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग

जिला – कोण्डागांव
के

क्रियाकलाप पर विवरण

दिनांक 31/10/2023 की स्थिति में

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की

उप-धारा (1) के खण्ड (बी)

छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग के क्रियाकलाप पर विवरण

(01) संरचना, कार्य एवं कर्तव्य (Organisation, Functions and Duties) :- छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विभाग के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित मदों से राजस्व प्राप्त होता है :-

(1) आबकारी

(a) जिला स्तरीय संरचना (Organisation) :- जिला कोण्डागांव में आबकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत पद निम्नानुसार है:-

क	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
(अ)	द्वितीय श्रेणी			
1	जिला आबकारी अधिकारी	01	01	00
2	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	01	00	01
(ब)	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक			
3	आबकारी उप निरीक्षक	02	01	01
4	मुख्य आरक्षक	02	02	00
5	आरक्षक	08	04	04
(द)	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय एवं अन्य			
6	मुख्य लिपिक	01	00	01
7	लेखापाल	01	00	01
8	सहायक ग्रेड-2	01	01	00
9	सहायक ग्रेड-3	02	01	01
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	00	01
11	वाहन चालक	01	01	00
(इ)	चतुर्थ श्रेणी			
12	भृत्य	04	04	00
13	चौकीदार	01	00	01
	योग	26	15	11

(b) आबकारी विभाग का कार्य एवं कर्तव्य (Functions & Duties) :- विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी कर आवेदन शुल्क, लायसेंस फीस एवं ड्यूटी के रूप में राजस्व अर्जित करना।
2. देशी/विदेशी मदिरा, निर्माण एवं बॉटलिंग हेतु लायसेंस देकर लायसेंस फीस एवं बॉटलिंग फीस अर्जित करना।
3. देशी/विदेशी मदिरा के आयात/निर्यात की स्वीकृति दी जाकर, आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क एवं परिवहन शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।
4. देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर लायसेंसियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर शास्ति/संधानराशि आरोपित कर राजस्व अर्जित करना।
5. मेडीशनल एण्ड टायलेट प्रिपैरेशन नियम के अन्तर्गत लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
6. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध मदिरा निर्माण, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय, अवैध धारण के प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी कर जाँच करने पर अपराधी के विरुद्ध कायम आपराधिक प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा लायसेंसों के विरुद्ध पाई गई विभागीय अनियमितताओं हेतु विभागीय प्रकरण दर्ज कर विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना।
7. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत मादक पदार्थों की अवैध खेती, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध धारण की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी ली जाकर या जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।
8. विभाग में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915, एवं एन.डी.पी.एस अधिनियम 1985 के अन्तर्गत होने वाले अपराधों पर उचित नियंत्रण रखकर आबकारी राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करना है।

2. **जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी के अधिकार एवं कर्तव्य :-** आबकारी विभाग में जिलास्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य पदवार निम्नानुसार है।

(a) **कलेक्टर (आबकारी) :-** जिला स्तर पर कलेक्टर आबकारी प्रशासन के प्रमुख हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :-

1. किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
2. देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी करने का अधिकार।
3. मादक पदार्थों के आयात, निर्यात एवं परिवहन हेतु पास जारी करने का अधिकार।
4. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय की दुकानों को लोक शांति हेतु निश्चित समय के लिए बंद करने का अधिकार।

5. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय के लिए जारी किए गए लायसेंसों को निलंबित करने या निरस्त करने का अधिकार है।
6. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों के उल्लंघन पर दर्ज किए गए प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
7. 5 लीटर से अधिक देशी/विदेशी मदिरा अथवा किसी भी मदिरा के अवैध धारण/परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर मदिरा एवं वाहन को राजसात करने का अधिकार।
8. देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग दुकानों को उसी परिक्षेत्र (लोकेलिटी) में स्थानांतरित करने हेतु आदेश देने का अधिकार।
9. देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु जारी लायसेंस के निरस्त होने या अवधि समाप्त होने पर उसमें शेष रहे स्कन्ध के निराकरण के अधिकार।
10. एफ.एल.1घ, एफ.एल. 1(घघ) एफ.एल.2, एफ.एल.3, एफ.एल.3(क), एफ.एल.5, एफ.एल.5(क), एफ.एल.6, एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 लायसेंस जारी करने के अधिकार।
11. विदेशी मदिरा के आयात एवं निर्यात करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
12. देशी/विदेशी मदिरा के अधिक मार्गहानि के प्रकरणों में शास्ति आरोपित करने का अधिकार, जिसके लिए आबकारी आयुक्त द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया है।
13. भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंसों की नीलामी/टेण्डर की बोली/निविदा को अंतिम करने का अधिकार – भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंसों के लिए बोली/निविदा को रुपये 2.50 करोड़ तक स्वीकृत करने के अधिकार।
14. जिला आबकारी सलाहकार समिति "नगरीय एवं ग्रामीण" में पदेन अध्यक्ष हैं।
15. आबकारी मद में जमा राजस्व रुपये 5,000/- तक रिफण्ड देने का अधिकार।
16. स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रुपये 5,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
17. आबकारी राजस्व, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रुपये 10,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
18. जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है।

(b) उपायुक्त आबकारी :- बस्तर संभागीय कार्यालय से संबंधित है।

(c) जिला आबकारी अधिकारी :- जिले में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं। इस जिले में वर्तमान में 02 वृत्त संचालित है, जहां पर आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त प्रभारी के रूप में पदस्थ है।

1. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
2. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
3. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
4. जिला स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, आबकारी अपराधों की रोकथाम करना इनका मुख्य कर्तव्य है। साथ-ही आबकारी आयुक्त, कलेक्टर एवं उपायुक्त आबकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(d) भण्डारण भाण्डागार अधिकारी :- कोण्डागांव जिले में भण्डारण/भाण्डागार संचालित नहीं है।

(e) वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक :- जिले में आबकारी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वृत्त है। इस जिले के आबकारी वृत्तों में आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त प्रभारी के रूप में पदस्थ हैं। वृत्तों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अधिकार हैं:-

1. वृत्त में पंजीबद्ध किए गए न्यायालयीन प्रकरणों में सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।
2. वृत्त स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं होटल बार/क्लब पर कुशल नियंत्रण रखना, आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका मुख्य कर्तव्य है। कलेक्टर, उपायुक्त आबकारी, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(f) आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक :- जिले के आबकारी वृत्तों में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु पदस्थ रहते हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पास या अनुज्ञा प्रस्तुत करने की मांग करने एवं सार्वजनिक स्थान पर तलाशी लेने का अधिकार है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप-निरीक्षक के साथ उपलंभन कार्य, गश्त कार्य एवं आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका प्रमुख दायित्व हैं।

(g) कार्यालयीन कर्मचारी :- जिला कार्यालयों में कार्यरत रहते हुए, जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्य संपादन हेतु प्रमुख रूप से निम्नांकित शाखाएँ जिला कार्यालयों में निर्मित हैं, जिनमें परिवर्तन का अधिकार कार्यालय प्रमुख में निहित है। प्रत्येक शाखा का प्रभारी कर्मचारी अपनी शाखा से संबंधित कार्यों के सम्पादन एवं अधीनस्थ पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है :-

- (1) स्थापना एवं गोपनीय शाखा
- (2) लेखा, बजट, ऑडिट व पेंशन शाखा
- (3) ठेका एवं आसवनी शाखा
- (4) अपराध शाखा, न्यायालयीन शाखा
- (5) स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा
- (6) पत्रों की आवक-जावक शाखा
- (7) सी.एस.एम.सी.एल. शाखा

(3) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

(1) फुटकर बिक्री के लिये लायसेंसो का व्यवस्थापन :-

(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम- 1915 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए देशी/विदेशी मदिरा के बिक्री के लिये फुटकर दुकान/दुकानों का लायसेंस सी.एस.एम.सी.एल. (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये प्राधिकारी को प्रदत्त किया जायेगा।

(ख) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति इन संशोधित नियमों के संलग्न प्रपत्र उपबंध 01 व 02 पर क्रमशः सी.एस.-2(घघ) व एफ.एल.-1(घघ) में मंजूर किये जावेंगे।

- (2) लायसेंस की अवधि :- लायसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके उस भाग, जिसके लिये लायसेंस मंजूर किया गया है के लिये होगी। लायसेंस का नवीनीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये।
- (3) आवेदन पत्र :- सी.एस.एम.सी.एल. अथवा उसका अधिकृत प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र परिशिष्ट-01 एवं निर्धारित लायसेंस फीस 10,000/- रु. प्रति दुकान प्रति वर्ष एक मुस्त जमा कर आवेदन करेगा।
- (4) लायसेंस मंजूर करने के लिये प्रक्रिया :- अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर लायसेंस स्वीकृत करेगा।
- (5) आवेदकों के लिये पात्रता की शर्त :-
1. जिले के फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन के लिये आवेदन हेतु सी.एस.एम.सी.एल. के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र लायसेंस प्रदान किया जायेगा।
 2. सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संकामक या छुआछुत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।
- (6) मदिरा का उठाव :-
- (क) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर, संबंधित भण्डागार से देशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर तथा विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी परिवहन फीस चुकाकर, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से विदेशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर, अभिप्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा।
- (ख) देशी मदिरा भण्डारण भण्डागार/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड जिसके पास परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया है, परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की तारीख तथा समय अभिलिखित करेगा। और मांगी गई मदिरा की मात्रा का यथा संभव प्रदाय को सुनिश्चित करेगा।
- (ग) काउंटर वेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) :- डिस्टिलर/बॉटलिंग यूनिट के द्वारा आपूर्ति किये जा रहे देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के विनिर्माता इकाई द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं, मदिरा के कारखानों के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत की दर से काउंटर वेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अधिरोपित की गई है। उक्त ड्यूटी के प्रदाय के उपरान्त ही मदिरा वेयरहाउस/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन गोदाम में प्रदाय की जा सकती है। प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की गई मदिरा के परेषण के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक टुट-फूट पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) वापसी योग्य नहीं होगी एवं शास्ति अधिरोपण के दायित्वाधीन होगी।
- (घ) दिनांक 01.04.2023 से देशी/विदेशी मदिरा के लिये वेयरहाउस से प्रदाय मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1	2	3
1.	देशी मदिरा :- मसाला - 25 ⁰ UP प्लेन - 50 ⁰ UP	रूपये 320/- प्रति पूफ लीटर
2	विदेशी मदिरा (स्प्रिट):-विदेशी मदिरा (स्प्रिट)की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2023-24 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय पर (काउंटरवेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) प्रति पेट्टी निम्नानुसार होगी :-	
1.	रूपये 950/- तक	रूपये 350/- प्रति पूफ लीटर
2.	रूपये 951/- से 1250/- तक	रूपये 550/- प्रति पूफ लीटर
3.	रूपये 1251/- से 1850/- तक	रूपये 660/- प्रति पूफ लीटर
4.	रूपये 1851/- से 2400/- तक	रूपये 800/- प्रति पूफ लीटर
5.	रूपये 2401/- से 3500/- तक	रूपये 900/- प्रति पूफ लीटर
6.	रूपये 3501/- से 4500/- तक	रूपये 950/- प्रति पूफ लीटर
7.	रूपये 4501/- से 6500/- तक	रूपये 1000/- प्रति पूफ लीटर
8.	रूपये 6501/- से 8500/- तक	रूपये 1050/- प्रति पूफ लीटर
9.	रूपये 8501/- से 11000/- तक	रूपये 1100/- प्रति पूफ लीटर
10.	रूपये 11001/- और उससे अधिक	रूपये 1150/- प्रति पूफ लीटर

3.	बीयर (माल्ट मदिरा) प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रु. 100/- प्रति ब.ली. (2) रु. 101/- से 120/- प्रति ब.ली. तक (3) रु. 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर (1) 100/- प्रति ब.ली. (2) 120/- प्रति ब.ली. (3) 150/- प्रति ब.ली.
4.	सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए :- (क) विदेशी मदिरा(स्प्रिट) (ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	रूपये 350/- प्रति पूफ लीटर रूपये 100/- प्रति बल्क लीटर

(7) **फुटकर विक्रय मूल्य :-** शासन द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिये फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। विक्रयकर्ता, निर्धारित किये गये उक्त फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्तों से नहीं लेगा।

(8) **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने तथा बंद होने का समय :-**

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2017 के नियम-10 सहपठित सी.एस.-2(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक-08 एवं एफ.एल.-1(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक-16 में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निर्धारित रहेगा।

“परन्तु कानून-व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने हेतु निर्धारित समय प्रातः 10:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् प्रातः 09:00 बजे एवं निर्धारित समय प्रातः 10:00 बजे के एक घंटे पश्चात् अर्थात् प्रातः 11:00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 10:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् रात्रि 09:00 बजे एवं निर्धारित समय रात्रि 10:00 बजे के एक घंटे पश्चात् अर्थात् रात्रि 11:00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा।”

(9) शुष्क दिवस :-

(क) वर्ष 2023-24 में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के साथ-साथ एफ.एल.-2, 3, 3(क), 4, 4(क), 6, 7, 8 एवं 10 को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों पर बंद रखा जावेगा :-

क्र.	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1	2	3
1.	26 जनवरी " गणतंत्र दिवस"	1 दिवस
2.	30 जनवरी "महात्मा गांधी निर्वाण दिवस"	1 दिवस
3.	15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस"	1 दिवस
4.	मोहर्रम	1 दिवस
5.	02 अक्टूबर "गांधी जयंती"	1 दिवस
6.	18 दिसम्बर "गुरु घासीदास जयंती"	1 दिवस
7.	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	1 दिवस

(ख) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार है कि, वे वित्तीय वर्ष के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप-चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम है।

(10) लायसेंस की समाप्ति पर बचे अधिशेष स्टॉक का व्ययन :- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा के अधिशेष स्टॉक का व्ययन सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक-25 के अंतर्गत तथा विदेशी मदिरा के अधिशेष स्टॉक का व्ययन छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उपनियम (06) के अनुसार किया जावेगा।

(11) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन, निरीक्षण की समीक्षा एवं अवैध मदिरा पर प्रभावी रोकथाम के लिये जिला स्तरीय समिति :-

(क) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन (यथा दुकानों को किराये पर लेना, प्लेसमेंट एजेंसी से कर्मचारी लेना, दुकानों के संचालन के लिये वस्तुओं का क्रय, निरीक्षण की समीक्षा तथा अवैध मदिरा पर प्रभावी रोकथाम आदि) के लिये जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(1) जिला कलेक्टर - अध्यक्ष

(2) जिला पुलिस अधीक्षक - सदस्य

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य

(4) जिला मुख्यालय का नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी - सदस्य

(5) अधीक्षण/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग - सदस्य

(6) जिला कोषालय अधिकारी - सदस्य

(7) सदस्य सचिव - जिला महाप्रबंधक (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केट कार्पो.लिमिटेड)

(ख) उक्त समिति द्वारा समस्त फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन तथा समय-समय पर किये गये निरीक्षणों की समीक्षा करेगी।

- (ग) समिति के द्वारा मासिक बैठक आयोजित कर मदिरा दुकानों के संचालन की समीक्षा की जायेगी तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ एवं प्रबंध निर्देशक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्के.कार्पो.लिमिटेड को प्रेषित की जायेगी।
- (घ) उक्त समिति के अधीन दुकानों को किराये पर लिये जाने के लिये तथा दुकानों के संचालन के लिये पर्यवेक्षक/विक्रयकर्ता के चयन के लिये उप समिति गठित की जाती है। उप समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(1) अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/एडिशनल कलेक्टर	—	अध्यक्ष
(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
(3) पुलिस उप अधीक्षक (यातायात)	—	सदस्य
(4) कार्यपालन अभियंता (पी.डब्ल्यू.डी.)	—	सदस्य
(5) जिला रोजगार अधिकारी	—	सदस्य
(6) जिला कोषालय अधिकारी	—	सदस्य
(7) श्रम अधिकारी	—	सदस्य
(8) जिला महिला एवं महिला बालविकास अधिकारी	—	सदस्य
(9) जिला प्रबंधक (छत्तीसगढ़ स्टेट.मार्के.कार्पो.लि.)	—	सदस्य

- (12) निरसन :- इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम को उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवर्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरस्तीकरण होते हुये भी कोई आदेश या कार्यवाही जो देशी/विदेशी मदिरा दुकान या दुकानों के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये पहले से की गई हो, विधि मान्य होगी।

- (5) भांग,भांग घोंटा एवं भांग मिठाई की फुटकर दुकानों के ठेकों की प्रक्रिया :- जिले में स्थित भांग एवं भांग मिठाई की फुटकर दुकानों को प्रतिवर्ष माह फरवरी-मार्च में नीलाम द्वारा (बोली/निविदा) दिया जाता है, जिसके ठेके की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक रहती है। इन ठेकों का नीलाम कलेक्टर द्वारा किया जाता है। भांग से संबंधित दुकानों के नीलाम के लिए शासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के साथ-ही सर्व साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाता है। नीलाम में भाग लेने वाले बोलीदारों/निविदाताओं को नीलाम स्थल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क रुपये 500/- निर्धारित है, जिसमें मुख्य बोलीदार एवं उसका एक सहायक प्रवेश कर सकता है। बोली/निविदा देने के पूर्व घोषित आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत भाग अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होता है तथा इस अर्नेस्टमनी के विरुद्ध वह 10 गुना तक बोली दे सकता है। उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर सफल बोलीदार/निविदादाता के पक्ष में नीलाम/निविदा अंतिम किए जाने पर, सफल बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में नीलाम के तुरन्त बाद जमा करना अनिवार्य है, जिसमें अर्नेस्टमनी की राशि समायोजन योग्य होती है। उच्चतम बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/12 भाग प्रतिभूति के रूप में नीलाम के 3 दिवस के भीतर नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल



बैंक से जारी बैंक गारंटी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। भांग का प्रदाय संबंधित जिले के मद्य भांडागार से निर्धारित ड्यूटी दर चुकाकर, भांग का प्रदाय लिया जा सकता है। भांग की फुटकर दुकानों के लिए ड्यूटी दर रुपये 100/- प्रति किलोग्राम निर्धारित है। भांग अनुज्ञप्ति कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप एच.डी. 7 में जारी की जाती है।

(6) अन्य अनुज्ञप्तियाँ एवं जारी करने की प्रक्रिया :- उपरोक्त के अलावा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले अन्य अनुज्ञप्तियों के प्रकार एवं स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

(1) एफ.एल. 2 रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति :- (निरसित वर्ष -2020-21)

(2) एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति :- होटल में विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए प्ररूप एफ.एल.3 में अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.3 होटल बार, जिस स्थान पर खोला जाना है, वह वर्ष 2023-24 के लिए जारी शासन निर्देशों के अनुरूप हो।

ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस हैं, तो ऐसे प्रकरणों में कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत होटल के निवासियों, उनके अतिथियों एवं आगन्तुकों को उनके स्वयं के उपयोग हेतु अनुज्ञप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति के लिए होटल में न्यूनतम 10 कमरे होना आवश्यक है। एफ.एल.3 का लायसेंस कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 1 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घघ दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 500/- निर्धारित है। इस लायसेंस के अन्तर्गत किसी-भी समय विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की 420 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 660 बोतल से अधिक का स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। इस लायसेंस के लिए लायसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्रमांक	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2023-24 में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 12,60,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 18,00,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 24,00,000

(3) एफ.एल.3(क) शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति :- होटल में विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए प्ररूप एफ.एल.3 में अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.3 होटल बार, जिस स्थान पर खोला जाना है, वह वर्ष 2023-24 के लिए जारी शासन निर्देशों के अनुरूप हो। ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड

से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस हैं, तो ऐसे प्रकरणों में कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.3(क) का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 01 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घघ दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 500/- निर्धारित है। इस लायसेंस के अन्तर्गत किसी-भी समय विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की 420 क्वार्ट बोटल का और बीयर की 660 बोटल से अधिक का स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। इस लायसेंस के लिए लायसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्रमांक	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2023-24 में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 18,00,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 24,00,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 31,20,000

- (4) **एफ.एल.3 (ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति :-** एफ.एल.3 (ग) अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के स्वामित्व की ईकाइयों (होटलों) को प्रदान की जावेगी। ऐसे ईकाइयों (होटलों) के रेस्टोरेंट एवं कमरों में आगन्तुकों के उनके स्वयं के उपभोग हेतु, अनुज्ञप्त परिसर में, भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकेगा। यह अनुज्ञप्ति ऐसे मापदण्ड तथा भोजन की सुविधायुक्त, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के ऐसे ईकाइयों (होटलों) को दी जायेगी जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल अथवा उनके आबंटिती किसी व्यक्ति, फर्म कंपनी अथवा संस्था को प्रदान किया जा सकेगा। इस अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1,00,000/- वर्तमान में निर्धारित है।

- टीप :- 1. एफ.एल.-3/एफ.एल.3(क)/एफ.एल.4(क) के लिये माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव अनिवार्य होगा महावार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव की विफलता पर स्प्रिट की प्रति क्वार्टर बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट की प्रति क्वार्टर बोतल पर रु. 150/- की दर से शास्ति आरोपण होगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।
2. वर्ष 2023-24 के लिये 3 स्टार एवं उसके उपर के स्तर के होटलों को एफ.एल.-3 होटल बार अनुज्ञप्ति हेतु मिनिमम गारंटी संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगा।
3. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.04.2023 से विदेशी मदिरा, एफ.एल.-3 होटल बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.-3 क शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3-ग पर्यटन बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.-4 असैनिक विनोद गृह एवं एफ.एल.4 क व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति 12:00 बजे दोपहर से 12:00 बजे रात्रि तक खुली रहेगी।

(4) एफ.एल.4 अव्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति (असैनिक विनोद गृह) :- विनोद गृह (क्लब), जो अव्यवसायिक हो, में क्लब के वास्तविक सदस्यों या उनके अतिथियों को अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा के उपभोग के लिए प्ररूप एफ.एल.4 में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। एफ.एल.4 का लायसेंस कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 01 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घघ दुकान से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रूपये 500/- निर्धारित है। इस अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 1,50,000/- वर्तमान में निर्धारित है।

(5) एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति :-व्यवसायिक क्लब लायसेंस किसी ऐसे कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी, जिसके पास निम्न सूचीबद्ध सुविधाओं में से कम से कम पाँच सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिनमें सुविधा क्रमांक (अ-1) एवं (अ-2) का होना आवश्यक है -

(अ-1) तरण ताल, (जिसकी न्यूनतम लम्बाई 75 फीट तथा चौड़ाई 25 फीट तथा उक्त क्लब में स्थापित तरण ताल में Water Filtration Plant स्थापित एवं संचालित होना अनिवार्य होगा)

(अ-2) व्यायाम शाला, जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु कम-से-कम 20 आइटम हो।

(अ-3) बैडमिन्टन हॉल,

(अ-4) विलियर्ड्स/पुल टेबल,

(अ-5) टेबल-टेनिस,

(अ-6) स्कवैश कोर्ट,

(अ-7) कार्ड्स रूम,

(अ-8) लान टेनिस कोर्ट।

व्यवसायिक क्लब में कम से कम 500 सदस्य होना अनिवार्य है, प्रत्येक सदस्य के मोबाईल नंबर तथा आधार कार्ड की छायाप्रति एवं सदस्यता संबंधी अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त लायसेंस के अन्तर्गत अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा को अधिपत्य में रख सकेगा एवं वहाँ पर इसे क्लब के सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को, यदि क्लब का संबंधित सदस्य उसके साथ है, विक्रय कर सकेगा। एफ.एल.4क का लायसेंस कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 01 विदेशी मदिरा एफ.एल.1 घघ दुकान से विदेशी मदिरा

(स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 1500/- निर्धारित है। इस लायसेंस के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्रमांक	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2023-24 में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 8,50,000 लाख
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 12,25,000 लाख
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु दस लाख से अधिक न हो	रुपये 16,00,000 लाख
(घ)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो,	रुपये 18,00,000 लाख

(6) - (अ) एफ.एल.5 प्रासंगिक अनुज्ञप्ति :- यह अनुज्ञप्ति नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थाई प्रकृति में लोक मनोरंजन के अवसर पर अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों में बैंक्वेट हाल में विदेशी मदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा इस हेतु अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घ अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञप्ति के लिए लायसेंस फीस रुपये 20000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(ब) एफ.एल.5-क (मदिरा के उपभोग के लिए प्रासंगिक अनुज्ञप्ति) - एफ.एल.5-क का अनुज्ञप्तिधारक, नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थायी प्रकृति के लोक मनोरंजन के अवसर पर अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों में विदेशी मदिरा रख सकेगा और उपभोग कर सकेगा इस हेतु अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घ अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञप्ति के लिए लायसेंस फीस रुपये 10000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(7) एफ.एल.6 सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति :- सैनिक केन्टीन का एफ.एल.6 अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.7 या एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारकों को थोक विक्रय कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी या तो एफ.एल.9, एफ.एल.9क या एफ.एल.10क अनुज्ञप्तिधारक से क्रय करके अथवा आयात करके अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10000/- निर्धारित है।

(8) एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति :- सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल, इण्डो तिब्बत सीमा-पुलिस, केन्द्रीय आद्योगिक सुरक्षा बल या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई पैरा मिलिट्री बल से अनुमोदित एवं सम्बद्ध सैनिक केन्टीन का एफ.एल.7 अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारक को अथवा वास्तविक रक्षा एवं पुलिस कर्मियों को जो सुसंगत विनियमों के अधीन सम्यक् रूप से ऐसे केन्टीनों से ऐसा क्रय करने हेतु प्राधिकृत हो, विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। विक्रय सीलबंद बोतलों में किया जायेगा। परिसर में उपभोग किया जाना निषिद्ध होगा। अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपना स्टॉक प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।

- (9) **एफ.एल.8 सैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति** :- एफ.एल.8 में सैनिक विनोद गृह के लिए अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक सेना अथवा पैरा मिलिट्री कर्मियों के लिए चलाए जा रहे विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) में उक्त विनोद गृह अथवा भोजनालय के वास्तविक सदस्यों अथवा उनके अतिथियों को अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा तथा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।
- (10) **एफ.एल.9 बोतल भराई अनुज्ञप्ति-बॉटलिंग लायसेंस** :- एफ.एल.9 में अनुज्ञप्ति शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक, जिसे विदेशी मदिरा की बोतल भराई की मंजूरी है, स्प्रिट को सम्मिश्रित और तेजी कम करके विदेशी मदिरा का विनिर्माण और बोतल भराई कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारक अन्य राज्यों के अनुज्ञप्तिधारकों को सम्मिलित करते हुए एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारकों को विदेशी मदिरा का अंतरण एवं विक्रय कर सकेगा। बोतल भराई के लिए फीस रुपये 3/- प्रति प्रू.ली. निर्धारित है, जिसका संदाय अनुज्ञप्तिधारक करेगा। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 7,00,000/- निर्धारित है। विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. का प्रदाय राज्य में स्थित आसवनियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए परिवहन फीस रुपये 1500/- प्रति परमिट निर्धारित है। ई.एन.ए. का आयात राज्य के बाहर अन्य राज्यों से भी किया जा सकता है, जिसके लिए आयात फीस रुपये 3.00 प्रति बल्कलीटर निर्धारित है। अनुज्ञप्तिधारक केवल उन्हीं ब्राण्ड/लेबलों की विदेशी मदिरा की भराई कर सकता है, जिनके लेबल/लेबलों (नामपत्र/नामपत्रों) को नियम 9 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया हो। विदेशी मदिरा के प्रत्येक लेबल (नामपत्र) के लिए पंजीयन शुल्क रुपये 10,00,000/- निर्धारित है।
- (11) **एफ.एल.9 क विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति** :- यह अनुज्ञप्ति, ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी को शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी, जिसे विदेशी मदिरा के ऐसे विनिर्दिष्ट लेबलों अथवा ब्राण्डों के स्वामी द्वारा उन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा की बोतल भराई के लिए विशेषाधिकार दिया गया है अथवा प्राधिकृत किया गया हो, जिन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा का विनिर्माण संबंधित एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी को उनके संबंध में विशेषाधिकार दिए जाने के समय अथवा पूर्व में छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी किया जा रहा है अथवा किया गया हो। यह अनुज्ञप्ति ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी लिया जाना आवश्यक होगा, जो उसके स्वयं के स्वामित्व की ऐसी लेबलों/ब्राण्डों की विदेशी मदिरा का विनिर्माण करना चाहता हो, जिनकी विदेशी मदिरा का विनिर्माण पूर्व से ही छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी किया गया हो अथवा किया जा रहा हो। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 5,00,000/- प्रति फ्रैंचाइसी निर्धारित है।
- (12) **एफ.एल.10 विनिर्माणकर्ता की वितरण अनुज्ञप्ति (थोक विक्रय अनुज्ञप्ति)** :- यह अनुज्ञप्ति आबकारी आयुक्त द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लिए दी जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के केवल उन ब्राण्डों तथा लेबिलों का क्रय तथा भण्डारण कर सकेगा, जो नियम 9 के अन्तर्गत पंजीकृत हो। अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.9, एफ.एल.9क और बी-1-क के अनुज्ञप्तिधारी से अथवा

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर इसी प्रकार के अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी मदिरा का क्रय/अंतरण कर सकेगा, जो उनके द्वारा निर्मित/बॉटलिंग की गई हो। एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए एवं भण्डारण किये गये विदेशी मदिरा स्टाक को प्रदेश के किसी-भी एफ.एल.1क, एफ.एल.1कक, एफ.एल.1ककक, एफ.एल.1घ, एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारी को विक्रित किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुविधानुसार एक से अधिक स्थानों/जिलों में विदेशी मदिरा भण्डारण एवं विक्रय कर सकेगा। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) निर्धारित है।

वर्ष 2023-24 से विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु थोक विक्रय अनुज्ञप्ति को एफ.एल. 10 "क" का लायसेंस फीस रुपये 2,00,000/- प्रति गोदाम एवं एफ.एल. 10 "ख" लायसेंस फीस रुपये 2,00,000/- में विभक्त किया गया है।

(13) स्प्रिट के विनिर्माण (पेय प्रासव उत्पादन) हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया

:- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत आसवनी में स्प्रिट उत्पादन के लिए डिस्टिलरी की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार आसवनी का संनिर्माण तथा कार्य करने के लिए आशयित व्यक्ति, अपनी स्कीम प्ररूप डी (ए) में अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10000/- शासन कोष में जमा कर, चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा प्ररूप डी (बी) में आशय पत्र जारी किया जावेगा, जो जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक की कालावधि के लिए वैध रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओ सूचना पत्र देने के पश्चात् और सुनवाई के उपरांत लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित को हुई हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। उक्त कालावधि के दौरान भवन की योजना (प्लान) तथा नक्शे के अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र की प्रति, प्रस्तावित आसवनी की परियोजना रिपोर्ट के साथ आसवनी भवन की योजना तथा नक्शा, छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी अनापति प्रमाण पत्र की प्रति, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन मुख्य कारखाना निरीक्षक के अनापति प्रमाण पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। नक्शा अनुमोदन के पश्चात् आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। यदि आशय पत्र की मंजूरी तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर भवन का संनिर्माण करने में असफल रहने की दशा में किसी भी नुकसानी तथा हानि के प्रतिकर के बिना आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है, परन्तु आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर कि दो वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण हैं, तो ऐसे कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आशय पत्र की अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जो एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी। आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा हो जाने पर राज्य शासन के


Am

अनुमोदन के अधीन रहते हुए पाँच वर्ष की कालावधि के लिए रुपये 10,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर प्ररूप डी-1 में स्पिरिट के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्याधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप डी-1 में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा उक्त अनुज्ञप्ति के कार्यकरण के लिए किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है।

(14)

विदेशी मदिरा बॉटलिंग यूनिट हेतु अनुज्ञप्ति 9 एवं 9(क) स्वीकृति की प्रक्रिया

:- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 3 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के निर्माण एवं चलाने के लिए आशयित व्यक्ति समस्त सुसंगत ब्यौरे देते हुए अपनी स्कीम अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10000/- शासन कोष में जमा कर, चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा आशय पत्र जारी किया जावेगा, जो जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए वैध रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओ सूचना पत्र देने के पश्चात् और सुनवाई के उपरांत लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित को हुई क्षति या हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा तथा आशय पत्र का धारक "आशय पत्र" का विक्रय, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा उक्त आशय पत्र के अनुसरण में विनिर्माण इकाई या बोतल भराई इकाई से संनिर्मित करने या चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ठहराव नहीं कर सकता है। उक्त कालावधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र की प्रति, विनिर्माण भवन के मानचित्र, संयंत्र और मशीनरी के साथ प्रस्तावित विनिर्माण इकाई (मैनुफैक्चरी) की परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकार-पत्र या निर्बन्धन-पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मानचित्र अनुमोदन के पश्चात् विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। यदि आशय पत्र की मंजूरी तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र व मशीनरी की स्थापना करने में असफल रहने की दशा में किसी भी क्षति अथवा हानि की क्षतिपूर्ति के बिना आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है, परन्तु आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर कि एक वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के




पास पर्याप्त कारण हैं, तो ऐसे कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आशय पत्र की अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जो आबकारी आयुक्त के विवेक पर निर्भर करेगी। विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रुपये 7,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप एफ.एल.9 में तथा रुपये 20,0000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय पर एक वर्ष की कालावधि के लिए एफ.एल.9क में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह अनुज्ञप्ति पर दर्ज की जावेगी।

(15)

बीयर निर्माण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :- छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970 के नियम 3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में यवासवनी स्थापित करना या चलाना चाहता हो, उसके लिए लायसेंस प्राप्त करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को आवेदन प्रपत्र ख-1 में कर सकता है। यदि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवेदक द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। लायसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकता है :-

- (1) आवेदक ने आबकारी आयुक्त का यह समाधान कर दिया हो कि, संयंत्र की प्रतिदिन कम से कम 2,000 बोतल बीयर उत्पादन की क्षमता है।
- (2) आवेदक ने आबकारी आयुक्त का यह समाधान कर दिया हो कि, बीयर बनाने, संग्रह करने तथा उसका निर्गम करने के कारोबार के सम्बन्ध में उपयोग में लाये जाने के लिए प्रस्तावित भवन, पात्र, संयंत्र और साचित्रों को इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अनुसार बनाया गया है और यह कि आग से बचाव के लिए यथोचित सावधानी बरती गई है।
- (3) आवेदक ने उसके लायसेंस की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए शासकीय वचन पत्रों या सामान बाजार मूल्य की अन्य शासकीय प्रतिभूतियों के रूप में रुपये 25,000/- जमानत के रूप में जमा किया है। वचन-पत्र या अन्य प्रतिभूतियों, उनके जमा किये जाने पर जिले के कलेक्टर को उसके पदनाम से पृष्ठांकित की जायेंगी। बीयर बनाने वाले को उपर्युक्त रकम पर निकलने वाला ब्याज, जैसे ही वह देय हो, लेने की अनुमति होगी। राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रुपये 5,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप ख-1-अ में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अधीन रहते हुए नवीनीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई



अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह अनुज्ञप्ति पर दर्ज की जावेगी।

(16)

देशी मदिरा के थोक प्रदाय हेतु निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया:-

वर्ष 2023-24 में कोण्डागांव जिले की सभी देशी मदिरा दुकानों का प्रदाय केवल मानकीकृत कांच की बोतलों में भण्डारण भाण्डागार जगदलपुर से किया जावेगा।

7. मादक द्रव्यों की प्रदाय की व्यवस्था:- जिला स्तरीय मादक द्रव्यों के लायसेंसियों को विक्रय हेतु मादक द्रव्य का प्रदाय निम्नानुसार दिया जाता है:-

- देशी मदिरा :-** देशी मदिरा की भरी हुई बोतलें आसवनी से भण्डारण भाण्डागार जगदलपुर तक पेटियों में परिवहित की जाती है। प्रत्येक पेटियों में 48 नग पाव अथवा 24 नग अर्द्धी अथवा 12 नग बोतल भरी हुई होती है। भण्डारण भाण्डागार जगदलपुर में मदिरा का भण्डारण किया जाता है एवं देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को ड्यूटी एवं शुल्क आदि जमा पश्चात् वांछित मात्रा, प्रकार एवं नगों में प्रदाय दिया जाता है।
- विदेशी मदिरा :-** विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट का प्रदाय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन रायपुर से किया जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ड्यूटी राशि के जमा पश्चात् इस कार्यालय से रायपुर डिपो प्रभारी के लिये परमिट जारी किया जाता है। जिस पर फुटकर लायसेंसियों के द्वारा मदिरा की कीमत एवं शुल्क आदि का पृथकतः अग्रिम भुगतान पश्चात् उन्हें वांछित मात्रा, प्रकार एवं नगों में प्रदाय दिया जाता है।
- भाग :-** वर्तमान में कोण्डागांव जिले में कोई भाग दुकान संचालित नहीं है।

8. कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रतिमान (नार्म्स) (Norms Set By It For The Discharge Of Its Functions) :- आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त निरीक्षण को महत्वता देते हुए सामयिक अंतरालों पर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्रतिमान (नार्म्स) निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार है :-

(क) कार्यालय निरीक्षण :-

क्र.	कार्यालय	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	जिला आबकारी कार्यालय	1 उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	उपायुक्त आबकारी द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण
2.	वृत्त कार्यालय	1. उपायुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त का निरीक्षण करेंगे।
		2. जिला/सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रभार क्षेत्र के वृत्तों का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे।

(ग) विभिन्न अनुज्ञप्तियों का निरीक्षण :-

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	सी.एस.2(घ)(घ) (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री का लायसेंस), एवं एफ.एल.1(घ)(घ) (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का लायसेंस)	1. उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता /जिला आबकारी अधिकारी, उड़नदस्ता	प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक माह में 4 केन्द्र
		2. उपायुक्त /सहायक आयुक्त आबकारी	प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		3. जिला /सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		4. वृत्त प्रभारी अधिकारी /उप निरीक्षक	मुख्यालय स्थित केन्द्रों का पाक्षिक एवं अन्य केन्द्रों का मासिक
2.	एफ.एल.2 (रेस्टोरेन्ट बार, केवल बीयर हेतु), एफ.एल.3 (होटल बार अनुज्ञप्ति), एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल.6 (सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति), एफ.एल.7 (सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति), डी.एस. 1 (डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रय का थोक लायसेंस) डी.एस.2 (डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रय का फुटकर लायसेंस), डी.एस. 3 (प्रमाणिक उद्योगों, वैज्ञानिक और मंद करने के प्रयोजन के लिए डिनेचर्ड स्प्रिट को कब्जा में रखने की अनुज्ञप्ति), डी.एस.4 (औषधि विक्रेताओं द्वारा कब्जे, उपयोग और विक्रय के लिए उद्योगों में कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति), आर.एस.1 (परिशोधित स्प्रिट के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), एल.2 (अल्कोहल एवं अन्य नारकोटिक्स ड्रग्स मिश्रित दवाओं के निर्माण की अनुज्ञप्ति), एच.डी.7 (भांग के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), एच.डी.8 (भांग घोंटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति), डी.एस.पी.1 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के निर्माण और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति) डी. एस.पी.2 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), डी.एस.पी.3 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति)	1. उपायुक्त आयुक्त आबकारी	प्रत्येक अनुज्ञप्ति वर्ष में एक बार।
		2. जिला /सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक अनुज्ञप्ति वर्ष में एक बार।
		3. उप निरीक्षक	एफ.एल.2/3 माह में एक बार शेष अनुज्ञप्तियां तीन माह में एक बार
		4. जिला आबकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता	प्रत्येक माह में कम से कम 2 अनुज्ञप्ति

- 9 **विभाग में रखे जाने वाले विधान-नियम (Rules, Regulations, Instructions, Manuals And Records) :-** विभाग के कार्य संपादन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले नियम, विधान, आदेश, निर्देश निम्नानुसार हैं:-
- (1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)
 - (2) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985)
 - (3) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्र. 16 सन् 1955)
 - (4) मादक (स्पिरिटजन्य) सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (क्रमांक 39 सन् 1955)
 - (5) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 46 सन् 1988)
 - (6) सामान्य प्रयोग के नियम, 1960
 - (7) आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य संबंधी नियम, 1960
 - (8) सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तें
 - (9) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995
 - (10) छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002
 - (11) छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995
 - (12) छत्तीसगढ़ ताड़ी नियम, 1960
 - (13) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996
 - (14) छत्तीसगढ़ विप्रकृत स्पिरिट नियम, 1960
 - (15) छत्तीसगढ़ परिशोधित स्पिरिट नियम, 1960
 - (16) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 1960
 - (17) छत्तीसगढ़ अपीलें, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन नियम, 1960
 - (18) छत्तीसगढ़ राजसात वस्तुओं के (निपटारा) के संबंध में नियम, 1960
 - (19) छत्तीसगढ़ मादक मादक सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण नियम, 1960
 - (20) छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970
 - (21) छत्तीसगढ़ विप्रकृत मादक (स्पिरिटजन्य) संपाक नियम, 1969
 - (22) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ सिद्धदोष या आदी (व्यसनी) के द्वारा बंधपत्र निष्पादन नियम, 1985
 - (23) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ (केन्द्रीय) नियम, 1985
 - (24) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ (छत्तीसगढ़) नियम, 1985
 - (25) होलोग्राम के क्रय, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन व निर्गम के सम्बन्ध में जारी निर्देश
 - (26) देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी करने हेतु जारी किए गए निर्देश

उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होने वाले निम्नलिखित नियम जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखे जाते हैं :-

- (1) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम
- (2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
- (4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा) परिचर्या नियम, 1958



- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
- (6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (स्थाई एवं अर्द्धस्थाई) सेवा नियम, 1960
- (7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
- (8) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
- (9) छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—एक
- (10) छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—दो
- (11) छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना नियम, 1985
- (12) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955
- (13) छत्तीसगढ़ वेतन निर्धारण नियम
- (14) छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम
- (15) छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग—एक एवं दो
- (16) छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग— एक एवं दो
- (17) छत्तीसगढ़ लेखा संहिता भाग— एक एवं दो
- (18) छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम
- (19) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदग्रहणकाल) नियम, 1982

10. जिला स्तरीय कार्यालय में संधारित किये जाने वाले अभिलेख:— जिला स्तरीय कार्यालय में कार्यालयवार संधारित किये जाने वाले अभिलेखों, पंजियों, नस्तियों की जानकारी निम्नानुसार है:—

- (1) आबकारी की फुटकर दुकानों के ठेकों से संबंधित अभिलेख
- (2) आसवनी एवं बॉटलिंग इकाईयों के लिए मुख्यालय से जारी किए गए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत जिलों में स्थित इकाईयों से संबंधित अभिलेख
- (3) न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (4) स्थापना शाखा में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
- (5) समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावलियों से संबंधित अभिलेख
- (6) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (7) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित जाँच संबंधी अभिलेख
- (8) स्टोर, स्टेशनरी एवं भण्डार क्रय एवं प्रदाय से संबंधित अभिलेख
- (9) शासकीय वाहनों का रख-रखाव एवं अन्य कार्यालयीन उपकरणों के क्रय व रख-रखाव से संबंधित अभिलेख एवं वाहन की लागबुक
- (10) बजट निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण तथा मुख्यालय से प्राप्त बजट आवंटन संबंधी अभिलेख
- (11) ऑडिट संबंधित अभिलेख
- (12) अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों एवं अग्रिम धनों के भुगतान से संबंधित देयकों से संबंधित अभिलेख
- (13) समस्त व्यय की गई राशियों के लिए मासिक व्यय विवरणी से संबंधित अभिलेख
- (14) सांख्यिकी से संबंधित समस्त जानकारी (आय, खपत, उपलंभन आदि) से संबंधित अभिलेख एवं मासिक पत्रकों की तैयारी व प्रेषण
- (15) कार्यालय, वृत्त, भांडागार, आसवनी, बॉटलिंग यूनिटों के निरीक्षणों से संबंधित निरीक्षण टीपें

(17) आबकारी अपराधों एवं विभागीय लायसेंसियों द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराध घटना पंजी पी-14 का संधारण एवं रख-रखाव तथा विभागीय प्रकरणों की नस्तियाँ

(2) वृत्त कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख :- वृत्त कार्यालयों में निम्नानुसार अभिलेख, पंजिया संधारित की जाती है:-

क्र.	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार पंजी (पत्रों का आवक एवं जावक)
2.	पी-2	फार्म	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक की पाक्षिक दैनंदिनी
3.	पी-3	रजिस्टर	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक की भ्रमण पंजी
4.	पी-4	फार्म	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक द्वारा माह में किए गए निरीक्षण एवं भ्रमण की जानकारी का मासिक पत्रक
5.	पी-5	रजिस्टर	आबकारी दुकानों के लाभ-हानि के मूल्यांकन का रजिस्टर
6.	पी-6	रजिस्टर	आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार स्थित ग्रामों के लिए ग्रामवार इतिहास का रजिस्टर
7.	पी-7	रजिस्टर	आबकारी वृत्तों में आबकारी उप-निरीक्षक को अपराधों की प्राप्त सूचना का रजिस्टर
8.	पी-8	फार्म	आबकारी वृत्तों में दर्ज किए गए प्रकरणों के लिए अपराध एवं घटना रिपोर्ट का फार्म
9.	पी-9	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में जप्त मदिरा व अन्य सामग्री की जप्ती का फार्म
10.	पी-10	फार्म	सुपुर्दनामा पत्र जिसमें आबकारी प्रकरणों में जप्त मुद्देमाल को पुलिस या अन्य सक्षम पदाधिकारी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया जाता है ।
11.	पी-11	फार्म	आबकारी प्रकरणों में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट (अभियोजन) न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
12.	पी-12	फार्म	पेट्रोल चालान फार्म
13.	पी-13	फार्म	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग दुकानों एवं अन्य अनुज्ञप्तियों के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं हेतु लायसेंस को दिया जाने वाला आरोप-पत्र
14.	पी-14	रजिस्टर	वृत्तों में कायम किए गए प्रकरणों को जिला कार्यालय में दर्ज करने के लिए अपराध एवं घटना रजिस्टर
15.	पी-15	फार्म	विभागीय प्रकरणों में आरोपित संधानराशि/शास्ति की सूचना देने का फार्म
16.	पी-16	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में मुलजिम को जमानत देने के लिए जमानत मुचलका फार्म
17.	पी-26	रजिस्टर	इनाम वितरण रजिस्टर
18.	जी-2	रजिस्टर	देशी/विदेशी मदिरा, भांग दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
19.	-	अभियोजन	न्यायालयीन प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए

		रजिस्टर	अभियोजन रजिस्टर
20.	ओ.एफ. 7	रजिस्टर	वृत्तों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
21.	ओ.एफ. 9	रजिस्टर	वृत्तों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
22.	—	रजिस्टर	देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मदिरा का लेखा रजिस्टर
23.	—	रजिस्टर	आबकारी पुरानी बकाया एवं वसूली का रजिस्टर

- 11 संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/स्थानीय निकाय/जन-भागीदारी का नीतिनिर्धारण या नीतियों के क्रियान्वयन में योगदान/भागीदारी (Consultation With, Or Representation By, The Members Of The Public In Relation To The Formulation Of Its Policy Or Administration) :- नियमों के अन्तर्गत गठित आबकारी सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य देशी मदिरा और विदेशी मदिरा व अन्य मादक औषधियों की दुकानों को खोलने एवं मदिरा विक्रय के लिए आबकारी दुकानों की संख्या और क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में उनके वितरण के सम्बन्ध में सलाह मशविरा करना एवं समिति की राय लेना है। वर्तमान में स्थित मदिरा की किसी दुकान को बंद करना है या दुकानों के स्थान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव हो तो ऐसे प्रस्तावों पर राय-मशविरा किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा समिति की राय के साथ जिले का पूर्ण प्रतिवेदन भेजा जाता है, जिस पर शासन द्वारा आगामी वर्ष के लिए नीति विषयक निर्णय लिया जाता है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के खण्ड (ब) में आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य सम्बन्धी नियम प्रावधानित हैं, जिसके नियम-1 में नगरपालिका और छावनी (कन्टोनमेन्ट) क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :-

(अ)	कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर नियुक्त डिप्टी कलेक्टर	—	पदेन सभापति
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो	—	सदस्य
(स)	नगर पालिका समिति द्वारा चुने हुए क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के चार सदस्य	—	सदस्य
(द)	(i) अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और	—	सदस्य
	(ii) मादक द्रव्य के व्यापारियों के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हों, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि खण्ड (स) के अन्तर्गत चुने हुए सदस्य ऐसी जाति या व्यापारी का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और	—	सदस्य
(ड)	उपायुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी	—	पदेन सचिव

नगर पालिका समिति में चुने हुए प्रतिनिधियों में से खण्ड (स) के अनुसार चार सदस्य प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होंगे तथा "चुना गया कोई सदस्य (प्रतिनिधि), नगरपालिका समिति के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की अवधि तक सलाहकार समिति का सदस्य रहेगा या जब तक सलाहकार समिति में उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता, रहेगा, परन्तु शर्त यह है कि उस समिति में अपनी सदस्यता की अवधि के समाप्त होने के कारण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण के वह नगर पालिका की सदस्यता से वंचित होता है, तो वह सलाहकार समिति की सदस्यता से भी वंचित हो जायेगा।"

इसी प्रकार ग्रामीण सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान नियम-3 में है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :-

(अ)	कलेक्टर या समय-समय पर कलेक्टर द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर	-	पदेन सभापति	
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो	-	सदस्य	
(स)	जिले में प्रत्येक जनपद सभा द्वारा चुने हुए दो सदस्य या ऐसे क्षेत्र में प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत जिले में गठित अन्य इसी प्रकार के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुने गए दो सदस्य	-	सदस्य	
(द)	(i)	अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और	-	सदस्य
	(ii)	मादक द्रव्यों के व्यापारियों के दो से अनधिक प्रतिनिधि, और	-	सदस्य
	(iii)	आदिम जनजाति के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हों, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि, खण्ड (स) के अन्तर्गत चुने गए सदस्य ऐसी जाति, व्यापारी या जनजाति का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और	-	सदस्य
(ड)	उपायुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी	-	पदेन सचिव	

शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस बैठक में गठित समिति के सदस्यों के अतिरिक्त माननीय सांसद एवं विधायकों को भी विशेष रूप से आहूत किया जाता है और इस बैठक में आगामी वर्ष के लिये ठेकों की व्यवस्था के संबंध में मत लेकर अध्यक्ष/कलेक्टर अपने अभिमत के साथ प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को भेजते हैं। इस तरह सर्व जन-भागीदारी के उपरांत ही आगामी वर्ष के लिए देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर लायसेंसों की व्यवस्था संबंधी नीति पर शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्णय लिया जाता है।

- 12 **व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकार अथवा प्रदत्त छूट की जानकारी :-**
(Particulars Of Recipients Of Concessions, Permits Or Authorisations Granted By It) :- विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को छूट नहीं दी गई है। कुछ जाति विशेष या व्यक्ति समूह को दी गई छूट की जानकारी निम्नानुसार है :-

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे, अर्थात् :-

- (i) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों के प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा।
- (ii) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।
- (iii) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी-भी समय 5 लीटर होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में बिशप, डायोसिस ऑफ, रायपुर को केवल पूजा के प्रयोजन हेतु, सेक्रामेन्टल वाईन के निर्माण, कब्जा एवं परिवहन हेतु छूट प्रदान की गई है।

- 13 **नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सुविधाओं का विवरण (The Particulars Of Facilities Available To Citizens For Obtaining Information, Including The Working Hours Of A Library Or Reading Room, If Maintained For Public Use) :-**

नागरिकों के लिए विभाग में सूचनाओं के लिए पृथक लायब्रेरी या वाचनालय की व्यवस्था नहीं है। समस्त जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के पास उनके कार्यक्षेत्र के अभिलेखों की जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगी, जो किसी नागरिक द्वारा उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाने पर कार्यालयीन समय में अवलोकन की सुविधा दी जायेगी और उसकी प्रति चाही जाने पर अथवा अन्य कोई जानकारी, जो उन्हें जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराई जा सकती है, की मांग करने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी।

- 14 **जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण (The Names, Designations And Other Particulars Of The Public Information Officers)**

:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आबकारी विभाग के मुख्यालय स्तर एवं वृत्त स्तर पर नियुक्त अधिकारियों को विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	प्रभारी अधिकारी नाम व पदनाम	प्रभार क्षेत्र
1.	जिला आबकारी अधिकारी	जिला कार्यालय एवं संपूर्ण जिला कोण्डागांव
2.	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त - कोण्डागांव/केशकाल

नागरिकों के द्वारा अनुविभाग स्तर पर कार्यालय वृत्त आबकारी जिला स्तर पर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, से अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय अर्थात् प्रातः 10.00 बजे से संध्या 5.30 बजे के बीच सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं।

15 अन्य विवरण (Such Other Information, As May Be Prescribed) :-

जिले की सामान्य जानकारी पदस्थापना एवं लायसेंसो के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

(01) जिले की सामान्य जानकारी


1. कार्यालय का पता - कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, कक्ष क्र.- 75 कोण्डागांव
2. कार्यालय प्रमुख का नाम - श्री अलेख राम सिदार सहायक आयुक्त आबकारी।
3. वृत्त कार्यालयों की संख्या 02- कोण्डागांव/केशकाल।
4. वृत्त प्रभारियों के नाम 01 - श्री मोरजध्वज साहू, आबकारी उपनिरीक्षक,
5. विदेशी मदिरा दुकान - कोण्डागांव/फरसगांव/केशकाल।

(03 होम डिलेवरी दुकान सहित कुल-03)

6. देशी मदिरा दुकान 02- कोण्डागांव/केशकाल।

(02) कार्यालय प्रमुख के रूप में जिला कोण्डागांव में पदस्थ अधिकारियों की सूची:- नवगठित कोण्डागांव जिला में पदस्थ

क्रं.	नाम अधिकारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	भारमुक्त दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री के.आर.बी. कुंजाम	जिला आबकारी अधिकारी	04.02.2013	02.12.2015
2	श्री आर.के.बरिहा	जिला आबकारी अधिकारी	03.12.2015	10.03.2016
3	श्री के.आर.बी. कुंजाम	जिला आबकारी अधिकारी	11.03.2016	31.05.2016
4	श्री जी.आर. पैकरा	जिला आबकारी अधिकारी	24.06.2016	10.08.2017
5	सुश्री सोनल नेताम	जिला आबकारी अधिकारी	21.08.2017	08.03.2019
6	श्री आशीष कुमार कोसम	जिला आबकारी अधिकारी	10.03.2019	29.05.2021
7	श्री नारायण सिंह चौहान	जिला आबकारी अधिकारी	29.05.2021	30.09.2021
8	श्री प्रभाकर शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी	11.10.2021	16.08.2022
9	श्री अलेख राम सिदार	जिला आबकारी अधिकारी	16.08.2022	08.12.2002
10	श्री अलेख राम सिदार	सहायक आयुक्त आबकारी	08.12.2022	अद्यावत


सहायक आयुक्त आबकारी
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)